भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 457**

05.02.2024 को उत्तर के लिए

**बंजर भूमि पर वृक्षारोपण**

**457. श्रीमती पूनम महाजन :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों और आगामी तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़ी भूमि और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, संरक्षण और वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाएंगे;

(ख) क्या सरकार वन विभाग, वन विकास निगम, भारतीय वन सर्वेक्षण आदि के अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वनों के सर्वेक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर अध्ययन कराने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और वानिकी से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों यथा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), नगर वन योजना, विद्यालय नर्सरी योजना, प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) निधि, इत्यादि के माध्यम से देश भर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय समुदायों, स्थानीय समुदायों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को शामिल करते हुए व्यर्थ, खाली अैर बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के तहत रोपित वृक्षों की संख्या और कवर किया गया क्षेत्र **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : मंत्रालय भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) एवं इसके संस्थानों, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण भारतीय प्राणिजात सर्वेक्षण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार हेतु वनों के महत्व की बढ़ती पहचान के साथ कार्रवाई की/प्राथमिकताओं को आवश्यक बनाते हुए नियमित रूप से वैज्ञानिक वानकी अनुसंधान संबंधी कार्य करता है।

इसके अलावा, केन्द्र और राज्य सरकारों की कई अन्य एजेंसियों द्वारा भी अध्ययन और अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वन-विभाग, वन निगम, दूर-संवेदी केन्द्र/एजेंसियां आदि शामिल हैं और जिसके निष्कर्षों/परिणामों से वनों की विकास*आधारित आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

(घ) : राष्ट्रीय वन नीति, 1986 के अनुसार वनों के प्रबंधन और विभिन्न वनीकरण कार्यकलापों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन समितियों की सहभागिता के साथ भारतीय मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वनाग्नि संरक्षण एवं प्रबंधन स्कीम तथा एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास सहित विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु, वन्यजीव संरक्षण में लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए पारि-विकास समितियां भी बनाई जाती है।

**********

**अनुबंध-I**

**"बंजर भूमि पर वृक्षारोपण" के संबंध में श्रीमती पूनम महाजन द्वारा दिनांक 05.02.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 457 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | रोपित पौधों की संख्या (लाख में) | वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (हे.में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 | 10968.56 | 1399686.00 |
| 2 | 2019-20 | 15023.88 | 2057903.45 |
| 3 | 2020-21 | 13968.65 | 2211071.80 |
| 4 | 2021-22 | 11800.66 | 1776960.44 |
| 5 | 2022-23 | 12104.14 | 1852792.70 |

********